



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1107]
No. 1107]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 2005/आश्विन 26, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2005/ASVINA 26, 1927

रेल मंत्रालय
अभिज्ञान

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2005

का.आ. 1499(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 (1905 का अधिनियम सं. 4) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संबंध में रेल अधिनियम, 1989 की धारा 4ग, धारा 4घ, धारा 4ङ, धारा 4छ और धारा 4ज के अधीन केन्द्रीय सरकार की सभी शक्तियों और कृत्यों को तुरंत प्रभाव से रेलवे बोर्ड में विहित करती है।

[का. सं. 2000/एलएमएल/2/46/भाग-III]

एम. के. अग्रवाल, सचिव (रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2005

S.O. 1499(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Indian Railway Board Act, 1905 (Act No. 4 of 1905), the Central Government hereby invests the Railway Board with all powers and functions of the Central Government in respect of Rail Land Development Authority under Sections 4C, 4D, 4E, 4G and 4I of the Railways Act, 1989 with immediate effect.

[F.No. 2000/LML/2/46/Vol. -III]

M. K. AGARWAL, Secy. (Railway Board)


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 1298]
No. 1298]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 2006 [कार्तिक 9, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2006/KARTIKA 9, 1928

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2006

क्र.अ. 1857(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 के भाग 4 के अनुसूची में 1 नवंबर, 2006 से रेल भूमि विकास प्राधिकरण का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

श्री आर. आर. जारुहार	अध्यक्ष
श्री बी. बी. सारन	उप-अध्यक्ष
श्री अशोक गुप्ता	सदस्य (योजना, अवसंरचना और विकास)
श्री दीपक कश्यप	सदस्य, (रेल यातायात समन्वय योजना)
श्री समर झा	सदस्य, वित्त

[फा. नं. 2000/एल एन एल 2/46/वि.इ-3]

आर. पी. गुप्ता, सलाहकार (भूमि एवं सुविधाएं)
(रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2006

S.O. 1857(E).—In pursuance of Section 4A of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby constitutes the Rail Land Development Authority with effect from 1st day of November, 2006 consisting of the following, namely:—

Shri R. R. Jaruhar	Chairman
Shri B. B. Saran	Vice-Chairman
Shri Ashok Gupta	Member (Planning, Infrastructure and Development)
Shri Deepak Kashyap	Member (Planning Rail Traffic Coordination)
Shri Samar Jha	Member Finance

[F. No. 2000/LML/2/46/Voi.III]

R. P. GUPTA, Adviser (L&A)
(Railway Board)